



UPKU100017372026

न्यायालय-अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कसया, कुशीनगर।

जमानत प्रार्थना पत्र सं०-523/2026

सरकार बनाम आरिफ आदि

जमानत प्रार्थना पत्र का निस्तारण

11.03.2026

आवेदकगण/अभियुक्तगण आरिफ उर्फ आरिफ रजा पुत्र सुभान अंसारी व सुभान अंसारी उर्फ अब्दुल सुबहान पुत्र हलीम शाह की ओर से मु०अप०सं०-245/2025, अन्तर्गत धारा-115(2), 352, 351(3), 324(4), 117(2) बी०एन०एस०, थाना-तुर्कपट्टी, जिला-कुशीनगर में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए यह कथन किया गया है कि उन्हें झूठा व रंजिशन फंसाया गया है। जमानत दिये जाने की प्रार्थना की गयी है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि अभियुक्तगण न्यायालय के समक्ष उपस्थित हैं। उपरोक्त मामले में चार्जसीट न्यायालय में प्रेषित की जा चुकी है। अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध माजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। अभियुक्त को थाने से 35(3) BNSS की नोटिस पर रिहा किया गया था जिसके अनुपालन में दौरान विवेचना अभियुक्तगण द्वारा विवेचना में सहयोग किया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित विधिव्यवस्था Satendra kumar Antil vs C.B.I.(2021)10 SCC 0773 में पारित निर्देशों के प्रकाश में तथा मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किया जाना न्यायसंगत है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदकगण/अभियुक्तगण आरिफ उर्फ आरिफ रजा पुत्र सुभान अंसारी व सुभान अंसारी उर्फ अब्दुल सुबहान पुत्र हलीम शाह की ओर से मु०अप०सं०-245/2025, अन्तर्गत धारा-115(2), 352, 351(3), 324(4), 117(2) बी०एन०एस०, थाना-तुर्कपट्टी, जिला-कुशीनगर में प्रत्येक द्वारा अंकन 25,000/- रुपये के एक सक्षम प्रतिभू एवं इसी धनराशि के व्यक्तिगत बन्धपत्र दाखिल करने पर जमानत प्रदान की जाती है।

(श्रीमती प्रतिभा भाग्यश्री)

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
कसया, कुशीनगर स्थान।